P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-6* February- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

बालश्रम एक सामाजिक समस्या

जयराम बैरवा
एसोसिएट प्रोफेसर,
समाज शास्त्र विभाग,
बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय,
अलवर, राजस्थान, भारत

सारांश

बाल–श्रम न केवल विश्वव्यापी सामाजिक–आर्थिक समस्या है बल्कि एक नैतिक–संकट भी है। ऐसी समाज–व्यवस्था जिसमें बच्चों और किशोरों को उनके शारीरिक–बौद्धिक विकास का सर्वाधिक मूल्यवान अवसर छीनकर उनके श्रम से रोजी–रोटी प्राप्त की जाए या लाभकारी धंधा किया जाए तो यह समाज के भविष्य को रौंदकर वर्तमान को समृद्ध करने का स्वार्थपूर्ण कृत्य हैं । बाल–श्रम के लिए बाल श्रमिक का अभिभावक तो अपनी आर्थिक मजबूरी के कारण जिम्मेदार है ही किंतु बाल–श्रम से अपनी पूंजी को बढ़ाने वाला रोजगारदाता तथा हमारी वह संपूर्ण सामाजिक–राजनीतिक व्यवस्था भी जिम्मेदार है जो अपने ही भावी नागरिकों को अपने सहज विकास के मार्ग से हटाकर अपनी अर्थव्यवस्था का संचालन करती है । भारतीय अर्थव्यवस्था की विडंबना है कि दुनिया के सबसे अधिक बालश्रमिक यहीं है और कुल भारतीय श्रम का 20 प्रतिशत भाग हमारे नौनिहालों, कच्ची विकासमान उम्रवाले बच्चों से प्राप्त होता है। इसलिए बाल श्रम का प्रश्न बच्चों के शोषण के साथ साथ उनके विकास का भी है, बाल श्रमिक अभिभावक से ज्यादा पूरी व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। बाल–श्रम आजादी से पहले से ही किसी न किसी रूप में गैर–कानूनी घोषित कर दिया था, इसलिए भारत में वास्तव में बाल श्रम कितना है इसका आंकलन तो कठिन ही है किंतु यह तो निश्चित ही है कि दुनिया के 40 करोड़ बालश्रमिकों में से सबसे अधिक भारत में ही है। भारत में बाल श्रमिक की संख्या ही अधिक नहीं है बल्कि वे जिन स्थितियों में काम करते हैं, वे दर्दनाक है। फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग में बच्चे 1004 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान में दहकती भट्टियों के पास काम करते हैं, जिससे उनका कच्चा शरीर झुलस जाता है। दरियों और कालीनो की बुनाई में बच्चों की कोमल नन्ही अँगुलियाँ तेजी से थिरकती है किंतु उनका शरीर जकड़ जाता है तथा एक–एक कर उनके अंग खराब होने लगते हैं। इसी तरह आतिश के कारखाने में अंग–भंग होते रहते हैं, जानें चली जाती है तथा पोटाश, सल्फर एवं फास्फोरस गैस रसायनों के बीच रहने से सांस, दमा आदि बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। इसी तरह गंदगी के ढेरों से पॉलिथीन आदि का कचरा ढूंढनेवाले बच्चों में अनेक तरह की बीमारियां हो जाती हैं। वस्तुतः बाल–श्रमिक जिस तरह की खतरनाक कार्यों में लगे होते हैं वहीं से वे रोटी के लिए कुछ पैसा तो जुगाड़ लेते हैं किंतु बहुत ही जल्दी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त होकर अपना जीवन चौपट भी कर लेते हैं और फिर जीवनभर के लिए बेरोजगार हो जाते हैं।

मुख्य शब्द : Global socio-eco problems, Indian economic, Moral hazard, Unisef , employment act, Unorganized sector, organized sector.

प्रस्तावना

भारत का भविष्य बच्चों में निहित है। बच्चे देश के भावी कर्णधार है और अपने परिवार की धरोहर है। हर माँ–बाप का यह सपना होता है कि वे अपनी संतान को अच्छे संस्कार दें तथा देश के लिए बेहतर काम कर सकें। परन्तु बहुत से बच्चे इस सौभाग्य से वंचित रह जाते हैं तथा माँ–बाप गरीबी और मजदूरी के कारण चाहकर भी अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाते 20 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से बाजार की प्रतिस्पर्धा में आगे बढाने की प्रवृति ने बाल मजदूरी की संस्कृति को और प्रगाढ कर दिया है विकसित और विकासशील देश दोनों ही इस समस्या से जूझ रहे हैं।

बालश्रम की समस्या से आज न केवल तीसरी दुनिया के देश (पिछडे देश) ग्रस्त हैं बल्कि विकसित देश भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं। अमरीका, ब्रिटेन, जर्मनी आदि देशों में बालश्रम की घटनाएँ निरन्तर तेजी से बढ़ रही हैं। दिखाने के लिए तो विकसित देश विकासशील देशों से होने वाले

आयातों पर इस कारण प्रतिबन्ध लगाते हैं कि वे वस्तुएं बाल श्रमिकों द्वारा बनाई गई हैं लकिन अपने ही देश में वे युवा पीढी को धन का लालच देकर बालश्रम पर मजबूर कर देते हैं संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष (यूनीसेफ) द्वारा 2005 में जारी एक रिर्पोट के अनुसार विश्व भर में 24.6 करोड बच्चे किसी न किसी प्रकार के श्रम करने को मजबूर है। इसमें से 15.2 करोड एशिया, 7. 6 करोड अफ्रीका तथा शेष 1.8 करोड बाल श्रमिक लैटिन अमेरिका देशों व अन्य देशों में मौजूद हैं। वैश्विक स्तर देखा जाए तो पाकिस्तान में बनने वाली कालीनों का 80 प्रतिशत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ही बनाते हैं। बांग्लादेश में बडे पैमाने पर बच्चे ही शर्ट बनाने वाले उद्योगों में कार्यरत हैं। दक्षिण अफ्रीका में तो हजारों बच्चे घरेलू नौकरों के रूप में कार्य करते हैं।

भारत के बहुत से बच्चें आर्थिक और सामाजिक कारणों से अपने बचपन को श्रम की भट्टी में झोकतें हैं । देश के सभी राज्यों और जिलों में बच्चों को अपनी पढाई–लिखाई के काल में कल–कारखानों, बाग–बगीचों, खेत–खलिहानों, ढाबों और होटलों, गली–कूचों में आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपना बचपन भी बेचना पडता है। जो बच्चे पढ़ने लिखने की उम्र में स्कूल नहीं जाते हैं वे किसी न किसी रूप में श्रमिक का काम करते हैं। कई बच्चे अपने परिवार के लिए अपने पसीने से रोटी जुटाते हैं, लगातार 12–15 घंटे काम करते हैं। बचपन में ही एक युवा के समान कार्य के बोझ से लद जाने के कारण बच्चा, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरजंन और स्वतंत्रता जैसे अपने मौलिक अधिकारों से वंचित हो जाता है।

बालश्रमिक कौन

बचपन को परिभाषित करने के लिए भी कोई सर्वमान्य उपागम नहीं है। बाल श्रमिक वह बच्चा है जो अपने बचपन में ही किसी उत्पादन के क्षेत्र में अपना श्रम बेचता है। यहाँ उत्पादन के क्षेत्र से तात्पर्य किसी बडे उद्योग या कारखाने और उपक्रम से नहीं है। इनके अतिरिक्त अन्य समस्त प्रकार के प्रतिष्ठानों में बाल श्रमिक को काम करते देख सकते हैं ।

हमारे देश के संविधान में उल्लेख है कि 14 वर्ष से कम उम्र में (कोई भी लड़का या लड़की) श्रम बेचकर पैसा कमाने के लिए काम करना गैर कानूनी है। इन्ही बच्चों को जो किसी कारणवश अन्य सुविधा प्राप्त नहीं कर पाते और दूसरों के यहाँ मजदूरी करते हैं, उन्हीं को बाल मजदूर या बाल श्रमिक कहते हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक चार बच्चों में से एक बच्चे को मजदूरी करनी पडती है। बाल मजदूरों की संख्या ज्यादातर उन क्षेत्रों में देखी जा सकती है। जहाँ विकास कार्य के लिए सस्ते मजदूरों की संख्या दोगुनी हो गई है। सरकारी आकड़ों के अनुसार हमारे देश में 2 करोड बाल मजदूर हैं जबकि गैर–सरकारी ऑकडों के अनुसार 4 करोड 40 लाख बाल मजदूर हैं।

भारत में उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश से देशभर के खतरनाक उद्योगों में चल रही बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया है। इस आदेश के अनुसार केवल 9 उद्योगों को खतरनाक मानकर उनमें बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया है। इनमें शिवकाशी का माचिस उद्योग, फिरोजाबाद का कांच उद्योग, मिर्जापुर व भदोही का कालीन उद्योग, अलीगढ़ का ताला उद्योग, आंध्र प्रदेश व मंदसौर (मध्य प्रदेश) का स्लेट उद्योग एवं मुरादाबाद का कांस्य उद्योग प्रमुख हैं।

बालश्रम एक सामाजिक समस्या

बाल श्रमिकों का शोषण होता है। वे रोजगार की खतरनाक परिस्थितियों के जोखिम उठाते हैं, और कई घंटें काम करने के बदले उन्हें अल्प वेतन दिया जाता हैं। शिक्षा को छोड़ने के लिए बाध्य होकर अपनी आयु से कहीं अधिक दायित्वों का निर्वाह करते हैं। उस आयु में दुनियादार बनकर जबकि उनकी आयु के अन्य बालकों को अभी अपने माता–पिता की सुरक्षा के कवच को छोड़ना बाकी हैं। ये बच्चे कभी नहीं जान पाते हैं कि बचपन क्या होता हैं ? संविधान में यह प्रतिष्ठापित है कि :–

1. चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए या किसी जोखिम वाले रोजगार में नियुक्त नहीं किया जायेगा।
   (धारा 24)
2. बाल्यावस्था और किशोरावस्था को शोषण और नैतिक एवं भौतिक परित्यक्ता से बचाया जायेगा।
   (धारा 39)
3. संविधान के प्रारम्भ होने से 10 वर्षों की अवधि में सब बालकों की, जब तक वे 14 वर्ष की आयु को समाप्त नहीं कर लेते, राज्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने का प्रयत्न करेगा।
   (धारा 45)

बालश्रम वर्तमान परिप्रेक्ष्य

भारत की कुल आबादी का 15.42 प्रतिशत बच्चे हैं और अन्य देशों की तरह भारत में भी बालश्रम की समस्या अत्यन्त गम्भीर होती जा रही है। प्रत्येक वर्ष बाल दिवस (14 नवम्बर) बड़े ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है इस अवसर पर सभी दिग्गज, विद्वान और राजनेता मिलकर अनेकों रणनीति तैयार करते हैं लेकिन दुःख की बात यह है कि ये रणनीतियां सिर्फ उसी दिन तक सीमित रह जाती है।

यूनेस्कों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि ''सबके लिए शिक्षा'' के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बाल मजदूरी है। बालश्रम से संम्बधित अधिकांश बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। और उनमें भी लगभग 60 प्रतिशत 10 वर्ष से कम आयु के हैं। व्यापार एव व्यवसाय क्षेत्र में 23 प्रतिशत तथा घरेलू कार्यों में 37 प्रतिशत बाल श्रमिक कार्यरत है। जहां तक शहरी क्षेत्रों की स्थिति का सवाल है वहां उन बच्चों की संख्या अधिक है जो कैन्टीन, रेस्टोरेन्ट और फेरी लगाने में संलग्न है। कुछ बच्चे तो खतरनाक उद्योगों में भी कार्यरत है। जैसे तमिलनाडु के कुछ जिलों में पटाखा और माचिस के कारखानों में लगभग 50,000 बच्चे कार्यरत है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के कांच के कारखाने में लगभग 46,000 बच्चे काम कर रहे हैं तथा दिल्ली में 60,000 से अधिक बच्चे ढाबों या चाय की दुकानों पर कार्य कर रहे हैं।

1986 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा कराए गये सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में बाल श्रमिकों की संख्या 1 करोड़ 73 लाख बताई गई हैं वहीं वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक यह संख्या 1 करोड़ 25 लाख हैं राष्ट्रीय श्रम संस्थान के ताजा आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में 6 से 14 वर्ष तक के कुल बच्चों की संख्या 22 करोड़ हैं जो आबादी का 22 प्रतिशत हैं भारत में 2 करोड़ 26 लाख बच्चे पूर्णकालिक श्रमिक के रूप में तथा 1 करोड़ 85 लाख बच्चे अंशकालिक श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं इन सभी आंकड़ों से एक बात तो साफ हो जाती है कि बाल श्रम की समस्या का संकेन्द्रण कुछ राज्यों और उद्योग विशेष तक सीमित है। यह स्थिती एक चिन्ताजनक स्थिति है जिस पर समय रहते विचार करना है देश में बाल श्रमिकों की बढ़ती हुई संख्या और उनके शोषण को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न उद्योगों को खतरनाक उद्योगों की श्रेणी में रखा है।

1. माचिस एवं पटाखा निर्माण उद्योग, शिवकांशी (तमिलनाडु)
2. डायमंड पॉलिशिंग उद्योग, सूरत (गुजरात)
3. कांच एव चूड़ी उद्योग, फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश)
4. पीतल के बर्तन एवं कलात्मक वस्तु विनिर्माण उद्योग, मुरादाबाद (यू. पी.)
5. हस्तनिर्मित कालीन उद्योग, मिर्जापुर–मदोही (उत्तर प्रदेश)
6. ताला उद्योग एव चाकू उद्योग, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)
7. स्लेट उद्योग, मंदसौर (मध्य प्रदेश)

कारखानों के मालिकों द्वारा बच्चों का शोषण किया जाता है व नियमों का भी उल्लंघन किया जाता है। बच्चे दरिद्रता के कारण नौकरी करते हैं। क्योंकि उनकी कमाई के बिना उनके परिवारों का जीवन स्तर बदतर हो जाता है। बाल श्रम के सम्बन्ध में पूंजीपतियों का यह तर्क है कि नौकरी बच्चों को भूखें मरने से रोकती है। वहीं अधिकारीगण का कहना है कि सरकार उन्हें पर्याप्त वैकल्पिक नौकरियां नहीं दे पा रही हैं समाज वैज्ञानिकों का भी यही करना है कि बालश्रम का मुख्य कारण निर्धनता है। बाल श्रम से उद्योगपति तो अपनी जेब भर लेते हैं लेकिन देश के भविष्य के बारे में उन्हे फिक्र ही नहीं है। इस सम्बन्ध में सरकार को अपने द्वारा बनाये गये नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।

बालश्रम की प्रकृति

अधिकांश कार्यरत बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रित हैं। उनमें से लगभग 60 प्रतिशत दस वर्ष की आयु से कम हैं। व्यापार एवं व्यवसाय में 23 प्रतिशत समा जाते हैं, जबकि 36 प्रतिशत घरेलू कार्यो में। शहरी क्षेत्रों में उन बच्चों की संख्या जो केन्टीन और रेस्तरा में काम करते हैं या जो चिथडें उठाने और माल की फेरी लगाने में लगे हुए हैं, विशाल हैं, परन्तु अनभिलिखित है। अधिक बदकिस्मती में वे हैं जो कि जोखिम वाले उद्यमों में कार्यरत हैं। उदाहरण के लिये तमिलनाडू में रामनाथपुरम जिले के शिवकांषी में पटाखें और माचिस की ईकाईयों में 45,000 कार्यरत है। उत्तरप्रदेश में फिरोजाबाद के गिलास के कारखाने में 45,000 बच्चे और गलीचे के कारखानों में एक लाख बच्चे काम करते हैं। बच्चों की एक बड़ी संख्या में बहुमूल्य पत्थरों की घिसाई की ईकाइयों में मुरादाबाद के पीतल के बर्तनों के उद्यम में, अलीगढ़ में ताले बनाने की ईकाइयों में, मर्कापुरा (आन्ध्रप्रदेश) और मंदसौर (मध्यप्रदेश) में स्लेट के उद्यम में और जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और कई प्रांतों में 60 गलीचे बनाने के कारखानों में कार्यरत है। (भारत से हर वर्ष लगभग एक हजार करोड़ रूपयों के गलीचे निर्यात होते हैं।) उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में गलीचे के उद्योग में काम करने वाले एक लाख बच्चों के यूनीसेफ (UNISEF) द्वारा किये गये एक अध्ययन में पाया गया कि 71 प्रतिशत बच्चे भागने की कोशिश में पीटे जाते हैं या इनमें से अधिकांशतः 5–12 आयु समूह के बच्चे हैं। अध्ययन में हजारों बच्चें ऐसे पाये गये हैं कि जिन्हें तीन–तीन वर्षों तक वेतन नहीं दिया गया था। जिन्हें वेतन दिया भी जाता हैं उन्हें 15 घंटों के काम के लिये अथवा (30,000 से 60,000 गॉठें बॉधनें के लिये) तीन से पॉच रूपयें तक दिये जाते हैं। काफी बच्चे खून की कमी, टी.वी., ऑखों की बीमारी से पीड़ित भी पाये गये हैं।
(हिन्दूस्तान टाइम्स, अक्टूबर 6 1992)

मिजोरम में पत्थर की खानों में काम करने वाले बच्चें पाये जाते हैं। 1981 के ऑकड़ों के अनुसार उनकी संख्या केवल तीन हजार थी जो 1991 में 7000 हो गई। पत्थरों की धूल से इनमें घातक बीमारियॉ पैदा को गई।
(हिन्दूस्तान टाइम्स, दिसम्बर 3 1992)

पश्चिमी उत्तरप्रदेश में ग्रामीण महिलाओं पर विकास के प्रभाव के अध्ययन में पाया गया कि 245 लड़कियों मे से 83 लड़कियॉ 6–11 आयु समूह की (लगभग 33.5 प्रतिशत) किसी आर्थिक गतिविधि में लगी हुई थी। यह अनुमान लगाया गया कि उत्तर प्रदेश में भदोई के आसपास दरी बुनने वाले 50,000 श्रमिकों में से 25 प्रतिशत बच्चे थे। जबकि मिर्जापुर में 20,000 श्रमिकों में 8,000 बच्चे थे । सूरत (गुजरात) और आस–पास कई इलाकों में बच्चे जो किशोरावस्था में हैं, बड़ी संख्या में हीरे काटनें के काम में लगे हुये हैं, जिसका ऑखों पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।

महानगरों के सर्वेक्षण सदमा पहुँचाने वाले रहस्योद्घाटन करते हैं। बम्बई में सर्वाधिक बाल श्रमिक हैं। सहारनपुर में 10,000 बाल श्रमिक लकड़ी की नक्काशी के उद्यम में लगे हुए हैं और उन्हें 14 घंटे प्रतिदिन काम करने के उपरान्त केवल एक रूपया प्रतिदिन मिलता है। वाराणसी में 5,000 बच्चे रेशम बुनने के उद्यम में कार्यरत हैं। देहली में भी 60,000 बच्चे दो या तीन रूपये की प्रतिदिन की मजदूरी पर ढाबों, चाय के स्टालों और रेस्तरॉ में काम करते हैं। खान के क्षेत्र में श्रमिकों में 56 प्रतिशत 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। अधिकांशतया बच्चों को अधिक पंसद किया जाता है क्योंकि वे आज्ञापरायण होते हैं और इसलिए उनका शोषण किया जा सकता है।

बालश्रम विकट रूप से बंधुआ श्रम से जुड़ा हुआ है। आन्ध्रप्रदेश में 21 प्रतिशत बंधुआ मजदूरों में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। कर्नाटक में 10.3 प्रतिशत और तमिलनाडू में 8.7 प्रतिशत इस आयु समूह के हैं। एक अध्ययन ने दिखलाया है कि बंधुआ बनते समय कई

मजदूर केवल पाँच वर्ष के होते है। उड़ीसा में ऋण चुकानें का एक आम तरीका आठ से दस वर्ष की पुत्रियों को ऋणदाताओं को नौकरानी के रूप में बेचना हैं। देश के कई भागों में बंधुओं पिता जो 40 वर्ष से अधिक आयु के हैं, अपने पुत्रों को बंधुआ बनाकर स्वंय को मुक्त करते हैं।

असम के चाय के बागानों में जहॉ 12 वर्ष से कम बच्चों की नियुक्ति पर प्रतिबंध है। लड़कियों को जो अपनी कार्यरत मां के लिये खाना लाती हैं, प्रोत्साहित किया जाता है कि वे रूक जाये और काम में सहायता करें। खानों के कार्यों में बच्चे अधिकांशतया लड़कें महत्वपूर्ण भूमिक निभाते हैं। आदमी खानों में खुदाई करते हैं और बच्चे कोयले की जमीन की ऊपरी सतह तक पहुँचाते हैं। बारह बर्ष से कम की आयु के बच्चे ज्यादा पसन्द किये जाते हैं क्योंकि उनके कद के कारण वे सुरंगों में बिना झुके चल सकते हैं। असंगठित क्षेत्रों में बाल श्रमिकों को अधिक पसंद किया जाना ज्यादा आम हैं, क्योंकि इनको नौकर रखने से तुलनात्मक रूप से कानूनों से कपट से बचना अधिक सरल होता है। कारखानों के निरीक्षणों द्वारा निरीक्षण किये जाने के दौरान बच्चों को छुपा दिया जाता हैं, उनकी आयु उन्हें नौकरी के पात्र करने के लिये मनमाने ढंग से बढ़ा दी जाती हैं या उन व्यक्तियों की जो बालिग व्यक्ति की मजदूरी के पात्र हैं, मालिक कार्यो में चालाकी से कम उम्र दिखला देते हैं और इस प्रकार उन्हें अपने वैध हिस्से (मजदूरी) से वंचित कर दिया जाता है।

बालश्रम के असहनीय रूप

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम के बदतर रूपों को परिभाषित किया है।

1. बच्चों की बिक्री एव तस्करी, बलात एव अनिवार्य श्रम, कृषि दासता आदि।
2. बाल वैश्यावृति, बाल श्रमिकों से अश्लील फिल्मों में काम करना।
3. नशीली दवाओं की बिक्री, भीख मंगवाना, चोरी करवाना, जेब कटवाना आदि।
4. स्वास्थ्य एवं आदर्शों पर प्रतिकूल प्रभाव वाले कार्य कराना।
5. अत्यधिक छोटे बच्चों से काम कराना।
6. व्यावसायिक दृष्टि से बच्चों का दैहिक शोषण।

बालश्रम के विविध रूप

बालश्रम एक विकट सामाजिक बुराई है। भारत सरकार द्वारा बालश्रम पर नियुक्त समिति के अनुसार बाल श्रमिकों में जनसंख्या का वह भाग आता है। जो या तो वैतनिक या अवैतनिक कार्यों पर नियुक्त है।

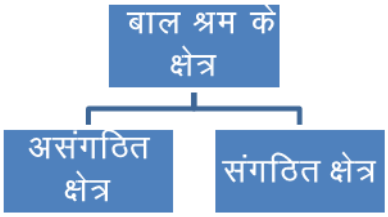

बाल श्रम मुख्यतः दो क्षेत्रों में पाये जाते हैं।

असंगठित क्षेत्र

होटल, ढाबा, फैक्ट्री, दुकान, वर्कशाप, हॉकर, कचरा चुनना, घर में नौकर का काम आदि।

संगठित क्षेत्र

कालीन बुनाई, दियासलाई, आतिशबाजी, हथकरघा, चमड़ा, कांच, भवन निर्माण, रत्न उद्योग तथा ताला उद्योग आदि में बाल मजदूर ज्यादा पाये जाते हैं।

बालश्रम के कारण

भारत जैसे देश में जहाँ जनसंख्या के 40 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति घोर दरिद्रता की स्थितियों में रह रहें हैं, वह बालश्रम एक बहुत ही पेचीदा विषय हैं। बच्चे दरिद्रता के कारण नौकरी करते हैं और उनकी कमाई के बिना (चाहे वह कितनी ही कम हों) उनके परिवार का जीवन–स्तर और भी गिर सकता है। उनमें से कईयों के तो परिवार ही नहीं होते या सहारे के लिये उनसे आशा नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति में काम का विकल्प बेरोजगारी, गरीबी या इससे भी अधिक खराब विकल्प अपराध हैं।

मालिक अपने दोष की भावनाओं को दबाने के लिये बच्चों को नौकर रखने की बड़ी दिलचस्प सफाईयाँ पेश करते हैं। वे कहते हैं कि नौकरी उन्हें भूखा मरने से रोकती है। यह उन्हें अपराध करने से रोकती है जो कि नौकरी नहीं होने की दशा में वे करते हैं। बालश्रम की समस्या का सामना मुख्य रूप से समाज के निर्धनतम वर्गों को करना पड़ता है। इसके साथ ही अन्य सामाजिक, आर्थिक कारणों से भी बालश्रम को प्रोत्साहन मिलता है, यहाँ इन कारणों का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत हैं :–

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-6* February- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

अभावग्रस्त घर

बालश्रम एक विवशता बन जाती हैं, जिन घरों में बच्चों को दो समय का भोजन नहीं मिलता, पहनने को कपड़ा नहीं मिलता, मौलिक आवश्यकताऐं पूरी हो नहीं पाती। ऐसे अभावग्रस्त घरों के बच्चे बचपन से ही मजदूरी की तलाश करने लग जाते हैं। इन घरों में बच्चों के माता–पिता भी अभाव के कारण भूख से पीड़ित रहते हैं। तथा जीवित रहने के लिए बच्चों को काम करने के लिए धकेलते हैं।

टूटे परिवार

परिवार में माता–पिता दोनों में से कोई भी जब अलग हो जाते हैं तो बच्चों के सामने संकट उत्पन्न हो जाता है। कभी–कभी माता–पिता से बच्चे भी अलग हो जाते हैं तथा माता–पिता और बच्चे साथ–साथ नहीं रह पाते हैं। इनमें से कोई भी किसी भी सामाजिक आर्थिक कारण से परिवार से अलग हो जाता है तो ऐसा घर टूटा घर भी कहा जाता है। टूटे घरों में बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता। साथ ही परिवार में जो भी शेष सदस्य होते हैं उनकी मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बालक भी काम की तलाश में निकल पड़तें हैं और कहीं भी अपना श्रम बेचने के लियें मजबूर हो जाते हैं।

माता पिता द्वारा बच्चों को गिरवी रखना

कई बार परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण माता–पिता उधार लेते हैं तथा उधार के बदले में अपने बच्चों को गिरवी भी रख देते हैं। उधार देने वालों के पास गिरवी रखे गये बच्चों द्वारा काम करवाया जाता हैं। तथा उधार देने वाले अपने काम में लाभ कमाने के उद्देश्य से इन बच्चों से सभी प्रकार का श्रम करवाते हैं।

परिवार की आमदनी में सहायता

परिवार में माता–पिता अपने आश्रितों की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने में जब अपने आपको अपर्याप्त समझते हैं तो वे बच्चों को भी आमदनी बढ़ानें के लिए काम दिलवाते हैं। बच्चों के श्रम करने से परिवार की आय में सहयोग मिलता है। इस प्रकार बालश्रम को बढ़ावा मिलता हैं।

प्राकृतिक आपदाऍं

जब कोई प्राकृतिक संकट उत्पन्न होता है तो आर्थिक दृष्टि से कमजोर माता–पिता प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होते हैं, उन्हें काफी हानि होती हैं। वे अपना और अपने बच्चों का पालन–पोषण करने में असमर्थ होते हैं। ऐसी दशा में बालकों द्वारा श्रम करवाना उनकी नियति बन जाती हैं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण बालश्रम एक आवश्यकता होती है।

भगौड़े बच्चे

बालश्रम का एक कारण स्वयं बच्चे भी होते हैं। जो बच्चे सामान्यतः स्कूल से भागने की आदत बना लेते हैं। आवारा के समान इधर–उधर घूमते हैं उन्हें उनके माता–पिता स्वयं बालश्रमिक के रूप में कहीं काम करने के लिए धकेल देते हैं।

जब परिवार के बड़े बच्चे श्रमिक होते हैं

कई परिवार ऐसे भी होते हैं, जिनमें उस परिवार के बड़े या वशिष्ठ बच्चे पहले से ही बालश्रमिक होते हैं तो आने वाले नये बच्चे भी अपने आप उनका अनुकरण करके बालश्रम करने लग जाते हैं।

बच्चों की बुरी आदतें

कई बच्चे सिनेमा के प्रभाव अथवा अन्य किसी कारण से बुरी आदतें सीख लेता हैं। जैसेः– धूम्रपान करना, सिनेमा देखना, नशीले पदार्थों का सेवन करना। ऐसी स्थिति में इन बुरी आदतों के लियें उनको धन की आवश्यकता होती है। बुरी आदतों की यह अवस्था और उसके लिये आवश्यक धन का प्रबंध करने के लिये वह स्वयं ही अपने लिये काम की तलाश करते हैं, और बाल श्रमिक बन जाते हैं।

गाँव के बच्चों के लिये शहर का आर्कषण

गाँव में रहने वाले बच्चें बड़े शहरों के प्रति आकृष्ट होने से गाँव छोड़कर शहरों में आ जाते हैं। शहर में प्रारम्भ में निरूद्देश्य सड़कों और गलियों में घूमते रहते हैं और भूख मिटाने के लिये भीख माँगते हैं या रेस्तराँ के आस–पास झूठन की तलाश करते हैं। कुछ समय ऐसे घूमने के बाद स्वयं काम करने के लिये तैयार हो जाते हैं। और काम की तलाश करके बाल श्रम करने लग जाते हैं।

बालमजदूर एक आवश्यकता

कुछ संगठित क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ इनके मालिक बाल मजदूरों की तलाश में रहते हैं। कम मजदूरी व भरपूर काम के लालच में बच्चों से ही श्रम करवाया जाता हैं। अनेक असंगठित क्षेत्र भी हैं, जहाँ बाल मजदूरों की आवश्यकता होती है जैसेः– घर में नौकर, होटल ढाबें का काम करना, अखबार बेचने आदि क्षेत्रों में बालकों को ही काम पर रखा जाता है।

उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त अनेक अन्य परिस्थिति तथा कारण हैं जो बाल श्रम को बढ़ावा देते हैं। जैसेः– अशिक्षा, परिवार में बच्चों की अधिकता, परम्परागत कार्य, निर्धनता, बेरोजगारी आदि।

बालश्रमिक और कानून

बाल मजदूरी समाप्त करने के लिये सन 1938 में ब्रिटिश सरकार में employment act बनाया था। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम वाले उद्योगों पर काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब यह कानून रद्द कर दिया गया है।

भारतीय संविधान की धारा 15 (3), 25, 24, 39 (ई), 39 (एफ) और 45 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने की अनुमति न दी जायें। बच्चों के सर्वांगीण विकास के अलावा मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जायें।

बाल मजदूरों से संबधित बाल श्रमिक (निषेध व नियमन) अधिनिमय 1986 में पारित किया गया जिसमें कुछ विशेष प्रकार की नौकरियों में 14 और 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार देना निषिद्ध या नियमित किया गया। इस कानून द्वारा बाल श्रमिकों की कार्यदशाओं का नियमन किया गया। जिससे उनका शोषण न किया जा सकें। इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य अग्रांकित हैं :–

1. विशेष प्रकार के कार्यो से उन बच्चों के रोजगार का निषेध जो 14 वर्ष से कम आयु के हैं।
2. नौकरी या प्रतिक्रियाओं में प्रबंध सुधार व निर्णय की कार्यविधि की स्थापना।
3. विशेष रोजगार में बाल श्रमिको की कार्य शर्तों पर नियंत्रण।
4. बाल श्रमिक संबंधी नियमों के उल्लंघन पर दण्ड व्यवस्था।
5. विभिन्न कानूनों में बच्चों की परिभाषाओं में एकरूपता स्थापित करना।

अध्ययन का महत्व

बालश्रम एक सामाजिक समस्या का अध्ययन करना है जिसमे ये बताना हैं कि बालश्रम के क्या कारण एवं परिणाम होंगे, तथा बालश्रम से बालकों की मानसिक एवं शारीरिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है? बालश्रमिकों का किस प्रकार से आर्थिक शोषण होता है तथा इनके आवास की व्यवस्था क्या है और यह भी अध्ययन करना है कि इससे इनकों किस प्रकार की सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे अनेक पहलूओं का अध्ययन करना हैं जो अपने आप में समाजशास्त्रीय दृष्टि से एक महत्वपूर्ण अवधारणा है।

बालश्रम वर्तमान भारतीय समाज की एक ज्वलंत समस्या के रुप में उभर रहा हैं, क्योंकि भारतीय समाज में अमीर व गरीब के बीच की दरार में काफी अंतर आ रहा हैं। गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों में बालश्रमिकों की संख्या अधिक पायी जाती है। शिक्षा के अभाव के कारण जनसंख्या में वृद्धि होती हैं, परिणाम स्वरुप बच्चों को उचित शिक्षा न दिलवा पाने के कारण उनकों अपने साथ छोटे–मोटै कार्य के रुप में कार्य पर ले जाते हें। थोड़े दिन बाद वो बालक बालश्रम के रुप में कार्य करना प्रारम्भ करता है। आज हम देखते हैं कि छोटे–बड़े नगरों में रेस्टोरेन्ट, लघु उद्योगों , रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड के विभिन्न प्रकार की दुकानों व चाय की स्टॉलों आदि में बालक कार्य करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा का अभाव एवं बेरोजगारी के कारण बालश्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो रही हैं, जिसका अध्ययन करना आवश्यक है। विभिन्न कार्य क्षेत्र–रेस्टोरेन्ट, होटल, लघु उद्योगों, दुकानों में कार्य करने वाले बालश्रमिकों का अध्ययन करने हेतु इस समस्या का चयन किया हैं जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

1. बाल श्रमिकों को चिह्नित करना।
2. बाल श्रमिकों की सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना।
3. रेस्तराँ दुकान, होटल व लद्यु उद्योगों में काम करने वाले बाल श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन करना।
4. बाल श्रमिकों के श्रम करने के कारणों को मालूम करना।
5. बाल श्रमिकों के आर्थिक शोषण को चिह्नित करना।
6. बाल श्रमिकों की शिक्षा प्रणाली को मालूम करना।
7. बाल श्रमिकों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना।

निष्कर्ष

बालक देश के भावी कर्णधार हैं। अपने परिवार की धरोहर हैं, बालश्रम को स्पष्ट कर बताया हैं कि 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा कार्य करें तो वह बालश्रमिक कहलाता हैं। बालश्रम एक सामाजिक समस्या है, जिससे बालकों का शोषण होता है, कि बारें में बताया हैं। बालश्रम का वर्तमान परिप्रेक्ष्य स्पष्ट किया है। भारत की कुल आबादी के 15.42 प्रतिशत बच्चे बालश्रम करते हैं। बालश्रम की प्रकृति को बताया है। बालश्रमिक की अधिकता वाले उद्योग को बतलाया है। माचिस एवं पटाखा उद्योग, पत्थर उद्योग, मत्स्य पालन उद्योग, बीड़ी उद्योग,

कांच निर्माण उद्योग आदि के बारें में बताया हैं। बालश्रम के असहनीय रुप को स्पष्ट किया है। बालश्रम के विविध रुप जैसें संगठित व असंगठित के बारें मे समझाया हैं। बालश्रम के कारणों को स्पष्ट किया हैं। जैसेः– अभावग्रस्त घर, टूटें परिवार, भगौड़े बच्चे, प्राकृति आपदाएँ आदि कारणों से बालक बालश्रमिक बन जाता है। बालश्रमिक और कानून को स्पष्ट किया हैं। बालश्रम संबंधी अधिनियम के बारें में बतलाया है। बच्चों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान को स्पष्ट किया है, अध्ययन का महत्व बतलाया है तथा अध्ययन के उद्देश्यों को भी स्पष्ट किया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

Agrwal, manish and Tewari, Ravi ed. (1999). Eradicating child labour while saving the child. Jaipur, Cuts centre for Interuational Trade, Economics & Environment

Bawant Kalpna (1996) : General Profile of Child Labour in Urban Slum Pune city, Pune : B.J. Medical College, Dep. of Preventive and Social Medicine. 102

Ennew Judith : Street and working children, A Guide to Planning Development Manual 4, Published by marg Detchelor House, 17 Grove lane, London SE 58 RD, 1994

Jaya Prakash Institute of social change, Kolkata (2005). KAP Study on child cosmetic work: a study on knowledge, attitude and practices in child domestic work, Kolkata: JISC

Lakshmi Rani, D. and Roy, Manabendra Nath (2005). Child domestic work : A violation of Human rights: quantitative analysis of the situation in West Bengal. New Delhi. Save The Childers.

Mathur, Kanchan and Ghosh, Ruma (2002), Child Labour in the home based Jem Polishing Industry of Jaipur. Noida: V.V. Giri, National Labour Institute.

Manju Gupta : A Situational Analysis and stratigies to compat child labour in the carpet Industry in India, Poddhar Publications, New Delhi, 1999

Mishra Lakshmidhar : Child Labour in India, Published by Manzar Khan Oxford University Press, Jaising Road, New Delhi 2000

Mohan Jitendra, et. al. (1998). Drug abuse among child workers: an exploratory survey Chandigarh: Punjab University dep. of Psychology. 186 P.

Rajasthan, Directorate of Economics and statistics: Rebort on survey for enumeration of child labour engaged in Gem Manufacturing Industries in Jaipur, City, Published by Rajasthan Govt., Jaipur 1988

Vimal Kumar, Geeta Vishvas: A Study of problems of working children in lock making Industry of Aligarh, Pooja Publications U.P. 1992

V.V. Giri National Labour Institute NOIDA (2001) National Child Labour Projects: on evaluation NOIDA: VVANLI

William Myres and Jo Boyders: Child Labour: Promoting the Best Interests of working children, Published by International save the Children. Alliance king street London W 6 U.K. Second Addition, 1998